

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 05/2023(GCMS 2023/185)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ
जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. राजेश कमल पुत्र श्री गुरबचन चंद जाति ब्राह्मण निवासी 12 ओ, तहसील
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी तहसील—
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)



09.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं
अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस
सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने चक
ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 3 के बीघा नं. 21 व 22 की अवाप्त भूमि पर
स्थित किन्नू के वृक्षों के संबंध में अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को अपने
मन-मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विधि के प्रावधानों व
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़
पौधों का मूल्यांकन करने के लिए सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर की
अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिनांक 17.09.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट में
मुरब्बा नम्बर 3 के बीघा नं. 21 व 22 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के
पौधों की गणना व आयु निर्धारित की गई, जिसमें कमेटी ने कुल 40 पौधों
की आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा राशि की रिपोर्ट तैयार की है।




आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रिपोर्ट में वर्णित पौधों विभागीय निर्देशानुसार सही नहीं का परीक्षण करने हेतु संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) खण्ड-श्रीगंगानगर को उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिस पर संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 को आधार मानकर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त भूमि पर स्थित अवसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण का आलोच्य अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित कर दिया, जो कि अनुचित एवं अवैध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान-श्रीगंगानगर द्वारा भाराराप्रा की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधों के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधों की मूल्यांकित राशि 14220/- निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, जबकि हस्तगत प्रकरण में सहायक निदेशक, उद्यान-श्रीगंगानगर द्वारा मनमुताबिक तरीके से अप्रार्थी खातेदारों से मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हुए किन्नू के पौधों की उपज को होने वाले नुकसान के स्थान पर संभावित शेष आयु को आधार मानते हुये मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके आधार पर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान-हनुमानगढ़ ने पौधों की कुल आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित


आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किया है, जबकि सहायक निदेशक, उद्यान-श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है। हनुमानगढ व श्रीगंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान होने के बावजूद श्रीगंगानगर में किन्नू के प्रश्नगत पौधों की आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारण करना सरासर अनुचित एवं अवैध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषक अपनी भूमि में लगे किन्नू के पौधों की देखरेख करने, पौधों को खाद/दवाई/पानी देने, मजदूर लगाकर फलों को तोड़ने, पैकिंग करने, परिवहन आदि के संबंध में व्यय/राशि खर्च करता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी खातेदार को खेत में लगे किन्नू के पौधों का भविष्य में संभावित लागत/खर्च/व्यय को बिना घटाये/कम किये सहायक निदेशक उद्यान ने अपने मनमुताबिक तरीके से संभावित शेष आयु को आधार बनाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जबकि अप्रार्थी खातेदार की भूमि पर लगे किन्नू के वृक्षों को वर्तमान में ही अवाप्त हो जाने से भविष्य में कोई खर्च ही नहीं हुआ और ना ही कोई खर्च होने का प्रश्न उठता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में कृषक के खेत में से अवाप्त फलदार किन्नू के पौधों का मूल्यांकन तरीके से बाजार दर के आधार पर किया है, जबकि वास्तविक रूप से यदि उक्त प्रश्नगत पौधों को खेत से खरीद किया जाता तो कृषक को बाजार दर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बाजार दर प्राप्त करने उपरोक्त व्यय/राशि कृषक को खर्च करनी होती है, परन्तु फिर भी सहायक निदेशक उद्यान ने उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थी को हानि पहुँचाने की चेष्टा रखते हुए मनमुताबिक तरीके से प्रश्नगत किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जाँच के आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान-श्रीगंगानगर को अवाप्त भूमि पर लगे प्रत्येक किन्नु के पौधों की उत्पादन क्षमता/उर्वरकता, वृद्धि, स्थिति व रखरखाव को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, क्योंकि बाग में लगे समस्त पौधों में से कई पौधों की फल उत्पादन की क्षमता कम होती है एवं कई पौधों की फल ही नहीं लगते तथा कई पौधे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान ने बिना किसी जांच के अवाप्ति में आये बाग में लगे समस्त पौधों की फल देने की उत्पादन क्षमता एक समान मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसको आधार मानते हुए उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि अनुचित होने के कारण संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में पेड़-पौधों की आयु निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से कोई दिशा-निर्देश व कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर मनमुताबिक तरीके से बिना किसी आधार के पेड़-पौधों की आयु निर्धारित कर दी जाती है। राजस्थान राज्य से लगते हुए अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पौधों की स्थिति, वृद्धि, किस्म, उत्पादन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुये मूल्यांकन किया जाता है

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति के बदले में दी जाने वाली मुआवजा राशि पब्लिक एक्सचेकर की राशि को माध्यम से दी जाती है, यह धन जनहित से जुड़ा होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।


उनका आगे यह भी कथन है कि तहसील श्रीकरणपुर, ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 3 के बीघा नं. 21 व 22 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नु के पौधों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक, उद्यान-श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में

गठित कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं संयुक्त निर्देशक, कृषि (विस्तार), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को निरस्त कर प्रश्नगत किन्नू के प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्चे एवं आयु को कम कर अवाप्ति के समय प्रश्नगत प्रत्येक किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 21, 22 में किन्नू के पौधों के बारे में अवार्ड दिनांक 24.06.2022 पारित किया है। आदेश विधि के अन्तर्गत पारित किया है, लेकिन इसके साथ जो किला नम्बर 21 में कोने से रोड़ गयी है, उसमें 8 पौधे उसके साथ नष्ट हो गये है, उसमा मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका मुआवजा भी दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 में मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 21 व 22 में 40 पौधों की आयु 25 वर्ष मानी है। इसके साथ जो दो हिस्सों में अप्रार्थी का बाग हुआ है जिसमें किला नम्बर 22 में 0.2201 है, किला नं. 21 में 0.0225 है, भूमि गयी है। किला नम्बर 21 में 0.0225 है. भूमि ली गयी है, उसके साथ लगते 8 पौधे अप्रार्थी के नष्ट हो गये है। रिफ्लैक्टर एक्ट की धारा 26 से 28 के अनुसार नुकसान की भरपाई नहीं की गयी है, उससे शेष पौधे बेकार हो गये है, उसका मुआवजा अप्रार्थी नहीं दिया है, जो अप्रार्थी को दिलाया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तकनीकी रिपोर्ट लेकर मुआवजा पारित किया है, मनमाने तरीके से कोई मुआवजा पारित नहीं किया है, किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं की गयी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड विधिसम्मत पारित किया गया है। इसके


आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त अवार्ड में अप्रार्थी के जो दो हिस्सों में भूमि बंटने से उसकी भरपाई नहीं की गयी है, उसकी भरपाई करवाई जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने जाने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सूरतगढ़ की रिपोर्ट मौजूद केस में लागू नहीं की जा सकती। सूरतगढ़ की भूमि और करणपुर की भूमि में दिनरात का अन्तर है। अप्रार्थी के किन्नु हाईब्रिड क्वालिटी के थे और अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात के सम्बन्ध में वन विभाग से रिपोर्ट लेकर आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी ने आयु के बारे में नियम को देखते हुए एवं नियमों की पालना करके मुआवजा निर्धारित किया है जहां तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का हवाला दिया है वहां पर नहरों के पानी से बाग सिंचित नहीं होता, वहां पर ट्यूबवैल व नदियों के पानी से बाग सिंचित होता है जिससे पौधों के दीमक लग जाती है, धरती में शोरा आ जाता है लेकिन राजस्थान में नहर के पानी से ड्रिप सिस्टम से आबपाशी होती है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के किन्नु लगाये जाते हैं। गंगानगर के लायलपुलिया बाग के किन्नु विदेशों तक जाते हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि धन जनहित का हो या प्राईवेट हो काश्तकार का हो जो उसके खेत में फसल या पौधे खड़े हैं, उसका मुआवजा दिया जाना है, उसे जनहित मानकर काश्तकार के हितों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी को चक 12 ओ मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 21, 22 का टुकड़ों में हुई भूमि में जो 8 पौधे साथ लगते हुए नष्ट हो गये, उसका अवार्ड अलग से पारित कर धारा 28 के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा दिलाये जाने का आदेश पारित करें और प्रार्थी की पैटीशन खारिज की जावे।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी राजेश कमल की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज-06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी राजेश कमल की भूमि ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 3 के बीघा नं. 21 व 22 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को राजष्ठीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है। सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 24.06.2022 को निरस्त कर, प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्च एवं आयु को कम कर, किन्तू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड द्वारा जो मुआवजा राशि तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवाप्तधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को जारी किया है। उक्त अवार्ड दिनांक 24.06.2022, सहायक निदेशक उद्यान - श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 09.12.2021, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 04.05.2022 एवं तहसीलदार

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(राजस्व), श्रीकरणपुर के पत्र दिनांक 17.06.2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी राजेश कमल की मुआवजा राशि का निम्नानुसार निर्धारण किया है:

राजेश कमल पुत्र गुरबचन चन्द, चक 12 ओ, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नं. 3 के किला नं. 21, 22 में रोपित कुल 40 किन्नु के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट :

(i) 1 पौधे का आधार मूल्य = 14447

(ii) 1 पौधे की मुआवजा राशि = 26447

(iii) 40 पौधों की कुल मुआवजा राशि = $26447 \times 40 = 1045880$

उक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी को 100 प्रतिशत तोषण राशि भी दी गई है।

किन्नु के पौधों की उम्र के सम्बन्ध में उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाहे जाने पर, उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 03.10.2023 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि भारतमाला परियोजना अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों में अंकित पौधों की कुल आयु के सम्बन्ध में चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार है :


श्रीगंगानगर जिले का किन्नु विश्वप्रसिद्ध है तथा यहां के किन्नु के बगीचों में 35-40 वर्ष की उम्र के उपरान्त भी किन्नु के भरपूर उत्पादन की स्थिति में है। इस हेतु डॉ. एम.के.कौल (जिन्हें श्रीगंगानगर जिले में फादर ऑफ किन्नु के नाम से जाना जाता है), सेवानिवृत्त प्रोफेसर उद्यान पूर्व निदेशक अनुसंधान, स्वामी केशवरानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा भी उनकी आयु के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया था, डॉ कॉल द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए किन्नु की उम्र 30735 वर्ष तथा उत्पादन 125-150 किलोग्राम प्रति वृक्ष अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

-sd-

(प्रीति बाला)

उप निदेशक उद्यान


श्रीगंगानगर


अर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक निदेशक उद्यान-श्रीगंगानगर,संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अर्वाड जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ के अधिवक्ता ने किन्नू के पौधों की उम्र के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई कानून/प्रपत्र/नियम/आदेश पेश नहीं किये है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा किन्नू के पौधों की औसत आयु के सम्बन्ध में कोई में हस्तक्षेप किया जा सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अर्वाड दिनांक 24.06.2022, राजेश कमल की हद तक पुष्ट किया जाता है

अतः उक्त विवेचन अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अन्य कोई आवेदन पत्र लम्बित हो तो वह भी खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर